NIC

सं. डी.20011/11/2016- सा.प्रशा.

भारत सरकार

जल संसाधन, आर.डी. एवं जी.आर. मंत्रालय

(सामान्य प्रशासन अनुभाग)

....

श्रम शक्ति भवन, रफि मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 16/11/16

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यह देखा गया है कि स्टाफ के कुछ सदस्य वाशरूम के वॉश-बेसिन में बर्तन धोते हैं, जिससे वॉश-बेसिन अवरूद्ध हो जाती है। स्टाफ के कुछ सदस्यों को कॉरिडोर, पौधों के गमलों के पास, सीढ़ियों में, डस्टबिन आदि के पास थुकते हुए भी देखा गया है जिससे फ्लोर, दीवारें और वातावरण गंदा होता है।

2. कई बार यह भी देखा गया है कि पौधों के गमलों/शौचालय के पॉट/ वॉश-बेसिनों आदि में खाली पैकेट, सिगरेट के टुकड़े, टैपर, पानी की खाली बोतलें आदि फेंकी जाती है।

3. इस मंत्रालय के स्टाफ के ऐसे सभी सदस्यों और अधिकारियों से ऐसे क्रियाकलापों से दूर रहने का अनुरोध किया जाता है, जो कार्यालय भवन को गंदा बनाते हैं और स्वच्छ भारत मिशन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता में बाधा डालते है।

सुरेन्द्र कुमार गर्ग

(सुरेन्द्र कुमार गर्ग) 16/11/16

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23708150

ई-मेलः **dsadmn-mowr@nic.in**

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के स्टाफ के सभी सदस्य/ अधिकारी।
2. एन.आई.सी. को वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपिः

1. सचिव (ज.सं., ज.वि. और गं.सं.) के प्रधान निजी सचिव/ ओ.एस.डी. (ज.सं., ज.वि. और गं.सं.) के प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (पी.पी.) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाकार के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव एवं एम.डी. (एन.एम.सी.जी.) के निजी सचिव।